

29/3/19

दोरे पर
दिनांक... 22/8/19... को पेश हो।

22/8/19

पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है/कीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक... 13/9/19... को पेश हो।

13/9/19

पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है/कीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक... 7/10/19... को पेश हो।

7/10/19

पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है/कीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक... 26/10/19... को पेश हो।

26/11/19

पत्रावली पेश
दोरे पर है/कीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक... 10/01/20... को पेश हो।

10/01/20

पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है/कीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक... 03/02/20... को पेश हो।

03/2/20

पत्रावली पेश पीठाधीन अधिकारी अवकाश पर है।
दोरे पर है/कीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक... 11/3/20... को पेश हो।

11/3/20


पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अधिवक्ता
उप-वादी व वकील अधिवक्ता जग-
अस्थि। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा
बताया गया कि वादी देवरशाम का
देखान्त 1.1.2014 को ही गया था।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

इसकी सूचना प्रतिवादी अधिवक्ता ने
 25-2-2014 को इस न्यायालय के सामने
 रखी थी। परन्तु आज कि तक वादी
 द्वारा न आदेश 22 नियम 3 तहत कायम
 मुकाम की कार्यवाही की गई नही
 वादी अथवा वादी अधिवक्ता न्यायालय
 में पेश हुए हैं। वादी / वादी
 अधिवक्ता 25/9/2017 से लगातार
 पेश नही हुए हैं।

अतः उक्त वाद अदम हजरी में
 आदेश 1x, नियम 8 सी.पी.सी
 अंतर्गत बतौर किया जाता है।
 पत्रावली फौजल शुमार होकर वादिल
 दफतर हो।


 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
 मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

